

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

शक्ति भवन: 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-2921-औस/2011-11(4)एफ/86(टी0सी0)

दिनांक 26 सितम्बर 2011

शुद्धि-पत्र

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों उनके आश्रितों व पारिवारिक पेंशनर्स द्वारा उत्तर प्रदेश में गैरमान्यता प्राप्त चिकित्सालय में भर्ती होकर करायी गई चिकित्सा/उपचार पर हुए चिकित्सीय व्यय का 70 प्रतिशत धनराशि की प्रतिपूर्ति के अनुमन्यता के सम्बन्ध में जारी कारपोरेशन आदेश संख्या-154-औस/2011-11(4)एफ/86(टी0सी0) दिनांक 28.01.2011 की "चौथी पंक्ति" में गैरमान्यता शब्द के पूर्व "उत्तर प्रदेश में" अंकित होना त्रुटिवश छूट गया है।

अतः उक्त आदेश की "चौथी पंक्ति में" आंशिक संशोधन करने हुए गैरमान्यता शब्द के ठीक पूर्व "उत्तर प्रदेश में" शब्दों को एतद्वारा जोड़ा जाता है।

उक्त आदेश की अन्य सभी शर्तें यथावत् रहेगी।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या : 2921(1)-औस/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु कारपोरेशन के आदेश संख्या-154-औस/2011-11(4)एफ/86(टी0सी0) दिनांक 28.01.2011 के क्रम में प्रेषित :-

1. मा0 ऊर्जा मंत्री, उ0प्र0 शासन के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध सलाहकार।
3. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध एवं प्रशासन)/(वाणिज्य)/(वितरण)/(वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/मेरठ/वाराणसी/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
6. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दे।
9. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक(लेखा)/वित्त, उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
11. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव-प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता, वेव, कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे उक्त शुद्धि-पत्र को कारपोरेशन की वेव साइट पर लोड करा दे।
13. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103, कीर्ति एपार्टमेंट, स्टेशन रोड, लखनऊ।

Naft Mathur
(नवनीत माथुर)
कार्मिक अधिकारी
26-9-11